झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा

अष्टम (बजट) सत्र

वर्ग–02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 11 माघ, 1938 (श0) / 31 जनवरी, 2017 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को संसूचित की गई सां0स0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गयी तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
92–	अ0सू0–12	श्री आलमगीर आलम	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	स्कूली शि0 एवं साक्षरता।	15/01/17
93–	अ0सू0–17	श्रीमती गीता कोड़ा	पढ़ाई प्रारंभ कराना।	स्कूली शि0 एवं साक्षरता।	19/01/17
94–	अ0सू0–20	श्री प्रदीप यादव	दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	स्कूली शि0 एवं साक्षरता।	19/01/17
95–	अ0सू0–19	श्री प्रदीप यादव	राशि का प्रावधान कराना।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन।	19/01/17

कृ0पृ0उ0–

96—	अ0सू0—06	श्री जानकी प्रसाद यादव	सेवा नियमित करना।	स्कूली शि0 एवं साक्षरता	15/01/17
97—	अ0सू0—18	श्री आलमगीर आलम	सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा।	18/01/17

रॉंची
दिनांक-- 31 जनवरी, 2017ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान—सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0— प्रश्न—04/2015 .....1091..... /वि0स0, रॉंची, दिनांक— 30/1/17

प्रति :— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान--सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

30/1/2017

(संजय कुमार)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान--सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0— प्रश्न—04/2015 .....1091..... /वि0स0, रॉंची, दिनांक— 30/1/17

प्रति :— मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय/ अपर सचिव (प्रश्न)/ संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान--सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

30/1/2017

अवर सचिव, झारखण्ड विधान--सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0— प्रश्न—04/2015 .....1091..... /वि0स0, रॉंची, दिनांक— 30/1/17

प्रति :— कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

30/1/2017

अवर सचिव, झारखण्ड विधान--सभा, रॉंची।

निरंजन

28.01.17

(92)

30/01/2017

श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या -अ0सू0-12

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 में मैट्रिक, इंटर के खराब परीक्षा परिणाम को लेकर विभागीय सचिव द्वारा समीक्षा करके कार्रवाई करने के आदेश के बाद भी 18 जिलों में खराब रिजल्ट की समीक्षा का कार्य नहीं किया गया।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जांच के क्रम में पाये गये बिंदुओं पर कार्रवाई की गयी है तथा कतिपय बिंदुओं पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 ई0 में राज्य के एक दर्जन +2 विद्यालय में एक भी छात्र उत्तीर्ण नहीं हुए।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खराब रिजल्ट की समीक्षा नही करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जांचोपरान्त पाये गये दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की गयी है तथा परीक्षाफल में सुधार करने हेतु लिये गये निर्णय पर भी कार्रवाई जारी है।

30/01/17

सरकार के अवर सचिव।

झारखंड-सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-29/2017 205 / दिनांक 30/01/2017 /

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/01/17

सरकार के अवर सचिव।

93

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती गीता कोड़ा, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-17

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	**डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 200 विद्यालयों जनजातीय भाषा में पढ़ाई प्राथमिक स्तर से किया जाना था, इन विद्यालयों में जनजातीय भाषा में किताब छापकर आपूर्ति करना था जिसपरअब तक कोई प्रगति नहीं हुई है;	अस्वीकरात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि शैक्षणिक सत्र 2016–17 में कक्षा 1 एवं 2 के लिए झारखण्ड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विकसित जनजातीय भाषा (हो, वाङ्गचिकी, खड़िया, मुण्डारी, कुड़ूख, संथाली एवं ओलचिकी) की पाठ्य–पुस्तकों का मुद्रण करा कर राज्य के 6 जिलों (दुमका, पाकुड़, प. सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा एवं खुँटी) को उपलब्ध करा दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रथम चरण में जनजातीय भाषा में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई प्रारंभ करने के पश्चात् अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई प्रारंभ करना था;	वस्तुस्थिति यह है कि शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु उपरोक्त जनजातीय भाषाओं के साथ–साथ कक्षा 1 एवं 2 के लिए बंगला एवं उड़िया भाषा के पाठ्य–पुस्तकें झारखण्ड राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा विकसित पाठ्य–पुस्तकें मुद्रण एवं आपूर्ति का कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में निहित है।

30/1/17

सरकार के अवर सचिव

Khurshid Saiesh

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक .....232..... राँची, दिनांक .....30/1/.....2017

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 752, दिनांक 19.01.2017 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/1/17

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री प्रदीप यादव, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-20

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः -	**डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि शैक्षणिक सत्र 2013–14 में स्कूली बच्चों के किताब छपाई के लिए चयनित 8 प्रकाशकों को 99 करोड़ का टेण्डर फाइनल पश्चात् 29.71 करोड़ रुपया अग्रिम भुगतान किया गया;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है टेण्डर में गड़बड़ी की शिकायत एवं भारत सरकार द्वारा राशि भुगतान पर रोक के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा गठित जाँच कमेटी द्वारा समर्पित रिपोर्ट में टेण्डर की शर्तों में बदलाव एवं गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के रिपोर्ट में टेंडर की शर्तों में बदलाव एवं गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है। जांच समिति के रिपोर्ट से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को तथ्यों से अवगत कराते हुए उनसे भुगतान हेतु अनुमति प्राप्त कर यथोचित निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अवलंब जाँच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में निहित है।

30/1/17

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 222 **राँची,** **दिनांक** 30/1/ 2017

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 786, दिनांक 19.01.2017 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/1/17

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

Sailesh

श्री प्रदीप यादव, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–31.01.2017 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–19 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र (इसरो) की संस्था स्पेस एपलिकेशंस सेंटर, अहमदाबाद ने 2003–05 और 2011–13 के बीच झारखण्ड के कुल 79,71,600 हेक्टेयर भूमि में से 54,98,726 हेक्टेयर (कुल क्षेत्र का 68.98 प्रतिशत) कटाव के दायरे में होने की बात कही गयी है,	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कटाव के दायरे में से 23 लाख हेक्टेयर में कटाव की दर खतरनाक स्तर तक पहुँच गयी है,	स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, अविलम्ब जमीन कटाव के रोकथाम हेतु एक विस्तृत एक्शन प्लान एवं उसके लिए बजट में समूचित राशि का प्रावधान चालू बजट सत्र में करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	झारखण्ड राज्य में भूमि के कटाव को रोकने हेतु झारखण्ड राज्य जलछाजन मिशन के द्वारा झारखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र से प्राप्त सेटलाईट ईमेज की सहायता से State Perspective Strategic Plan (SPSP) तैयार किया गया है, जिसपर कार्यान्वयन हेतु पूरे राज्य को 10798 अनुजलछाजन क्षेत्र में विभक्त कर 2009–10 से कार्य किया जा रहा है। किये गये कार्य की विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0	विवरणी	संख्या	क्षेत्रफल (हे0)
1	राज्य में कुल अनुजलछाजन	10798	79,71,600
2	वर्ष 2009–10 से पूर्व उपचारिता अनुजलछाजन की संख्या	1026	7,84,334
3	वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक उपचारित भूमि हेतु लिए गए अनुजलछाजन की संख्या	1146	7,66,842
4	नाबार्ड–RIDF अन्तर्गत उपचारिता भूमि हेतु लिए गए अनुजलछाजन की संख्या	204	1,57,898
5	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत जिला सिंचाई योजना (DOP) में प्रस्तावित अनुजलछाजन की संख्या	1.067	8,00,000

इसके अतिरिक्त राज्य योजना मद से भी वन विभाग द्वारा वनभूमि पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण कार्य करा कर भूःक्षरण को रोकने का कार्य कराया जाता है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न सं०–18/2017– 502 व0प0, राँची, दि०– 30/01/2017

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–790 दिनांक–19.01.2017 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री जानकी प्रसाद यादव, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-06

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	**डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2003–04 से रसोइया/संयोजिकाके द्वारा प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्य एवं दायित्वों का सफल संचालन किया जा रहा है	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में लगभग 1 लाख, 62 हजार महिलाएँ रसोईया/संयोजिकाका कार्य कर रही है, जिन्हें मानदेय के रूप में वर्तमान में मात्र 1500/– रुपये महीने की दर से भुगतान किया जा रहा है, जो श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से भी कम है	वस्तुस्थिति यह है कि मध्याह्न भोजन योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत 81824 रसोईया कार्यरत हैं, जिन्हें भारत सरकार के प्रावधान के अनुसार रुपये 1000/– प्रति माह प्रति रसोईया के दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से रसोईयों को रुपये 500/– प्रति रसोईया प्रति माह की दर से अतिरिक्त मानदेय भुगतान किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डज्ञें के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उनकी उचित मजदूरी दर का निर्धारण कर उनकी सेवा को नियमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में निहित है।

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक .....237..... राँची, दिनांक .....30/1/.....2017

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 590, दिनांक 15.01.2017 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/1/17

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री आलमगीर आलम, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-18

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के 2149 स्वीकृत पद के विरूद्ध 845 पद रिक्त हैं;	उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। सहायक प्राध्यापक के 2149 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 865 रिक्त पदों पर सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लीयरेंस कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त 845 पदों पर शीघ्र नियुक्ति पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका द्वारा सहायक प्राध्यापक के सभी रिक्त पदों के लिए एवं नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय व कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर विभाग के लिए सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा सहायक प्राध्यापक के कतिपय अन्य रिक्त पदों पर रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई पूर्ण होने पर समेकित रूप से नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी जानी है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-17/2017...242.../ रांची दिनांक-...30/01/2017.../

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-728 दिनांक-18.01.2017 के प्रसंग में 05 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.1.17

सरकार के उप सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।